भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4622
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण में पूंजी निवेश

4622. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) अधिग्रहण के पश्चात अडानी समूह द्वारा संचालित प्रत्येक विमानपत्तन के आधुनिकीकरण में अन्य विमानपत्तनों की तुलना में किए गए पूंजी निवेश की राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह निवेश पट्टा प्रदान करते समय की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने अडानी समूह द्वारा प्रचालित, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित और अन्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाले विमानपत्तनों के बीच तुलनात्मक निवेश विश्लेषण तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): हवाईअड्डे के बुनियादी ढाँचे का विस्तार, आधुनिकीकरण और विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा यातायात की माँग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, विमान परिचालन की सुरक्षा हेतु परिचालन अपेक्षाओं और एयरलाइनों की माँग आदि के आधार पर की जाती है। विकास कार्य भूमि की उपलब्धता और व्यवहार्यता के साथ-साथ इच्छित विमान परिचालन के संदर्भ में अन्य सुविधाओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं।

संयुक्त उद्यम (जेवी)/सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)/पट्टे पर दिए गए हवाईअड्डों पर बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का निवेश भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित हवाईअड्डों की तुलना में काफी अधिक है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) वैमानिकी शुल्क निर्धारित करते समय प्रत्येक प्रमुख हवाईअड्डे के इस अलग-अलग पूंजीगत व्यय प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखता है, जिससे सेवा प्रदाता और अंतिम उपयोगकर्ता के हितों में इष्टतम संतुलन बना रहे।

अडानी समूह के अंतर्गत सात रियायतग्राही/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा इन 7 हवाईअड्डों का अधिग्रहण करने के बाद से लगभग 16,300 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया है।

इन हवाईअड्डों के रियायतग्राही मास्टर प्लान और परिचालन, प्रबंधन एवं विकास समझौते (ओएमडीए) और यथा-प्रयोज्य रियायत समझौते में निर्धारित विकास कार्यों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। रियायतग्राहियों द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन और अनुपालन की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा स्वतंत्र इंजीनियरों, लेखापरीक्षकों, निरीक्षणों आदि के माध्यम से समय-समय पर निगरानी की जाती है।

******